



भारत सरकार : वित्त मंत्रालय : आयकर बिभाग
GOVERNMENT OF INDIA : MINISTRY OF FINANCE : INCOME TAX DEPARTMENT
अपर आयकर आयुक्त का कार्यालय : क्षेत्र-१ : बर्धमान
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX : RANGE-1 : BURDWAN
आयकर भवन, पहला तल, कोर्ट कम्पाउण्ड, बर्धमान-७१३१०१
AAYAKAR BHAWAN, FIRST FLOOR, COURT COMPOUND, BURDWAN-713101.

No.Addl.CIT/R-1/BWN/AMC-AC/2018-19/ 122

दिनांक/Date :26.11.2018.

दरपत्र की मांग करते हुए सूचना
NOTICE INVITING QUOTATIONS

प्रधान आयकर आयुक्त बर्धमान की ओर से वातानुकूल यंत्र के वार्षिक व्यापक रखरखाव हेतु लाइसेंस प्राप्त प्रख्यात समूहों/फर्मों/कंपनियों/एजेंसियों से दरपत्र/निविदा की मांग की जा रही है। अनुसूची क में कार्यक्षेत्र एवं नियमों व शर्तों का उल्लेख किया गया है। सभी वातानुकूल यंत्र जिनके एएमसी हेतु दरपत्र आमंत्रित किए गए हैं आयकर भवन स्थित आयकर कार्यालय, काछारी रोड, बर्धमान तथा इससे संलग्न अतिथि निवास में इन्सटॉल किए गए हैं। विन्डो तथा स्प्लिट वातानुकूल यंत्र के लिए वार्षिक व्यापक रखरखाव हेतु बंद लिफाफे में दिए जाने वाले दर तथा अन्य विवरण इस निविदा सूचना के साथ संलग्न अनुसूची ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए / On behalf of the Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan bids/ tenders are invited from licensed reputed parties/ firms/ companies/ agencies well experienced in Comprehensive Annual Maintenance Contract of Air Conditioners. The scope of work and the terms and conditions mentioned at **Annexure-"A"**. All the air conditioners for which quotations are invited for AMC are installed in the offices of the Income Tax Department at Aayakar Bhavan, Court Compound, Kachhari Road, Burdwan and its attached Guest House. The sealed quotations for comprehensive annual maintenance contract for window and split air conditioners are invited in the pro-forma for filing the rates and other details enclosed with this tender notice as in **Annexure -"B"**.


अनुसूची ख में दिए गए विवरण के अनुसार अर्हताप्राप्त बोली के लिए निविदा फार्म अलग से मुहरबंद होना चाहिए तथा उसे एकसाथ मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए जिसपर "वातानुकूल यंत्र के लिए दरपत्र" लिखा होना चाहिए और इसे कर वसूली अधिकारी, बर्धमान, आयकर भवन, कोर्ट कम्पाउण्ड, काछारी रोड, बर्धमान 713101 को जमा किया जाना है। जमा किए जाने की अंतिम तिथि दिनांक 07.12.2018 को अप. 02.00 तक है. The tender form for qualifying bid as detailed in **Annexure-"B"** sealed separately, and kept in sealed cover together, should be superscribed as "**Quotation for AMC of Air Conditioners**" and should be submitted to the **Tax Recovery Officer, Burdwan at Aayakar Bhawan, Court Compound, Kachhari Road, Burdwan713101.** The last date and time of submission is on 07.12.2018 within 02.00 PM.

दरपत्र उसी दिन अप. 3.00 बजे खोले जाएंगे। प्रतिभागी स्वयं या अपनेप्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित रह सकते हैं। / The Quotations will be opened on the same day at 03.00 PM. Participants may be present at the time of opening of the bidding either in person or through their authorized representatives.

दरपत्र के साथ (i) मालिक/फर्म/कंपनी के पैन कार्ड की छायाप्रति (ii) टेंड लाइसेंस की छायाप्रति तथा (iii) बोलीदाता का संपर्क संख्या होना आवश्यक है।/ Quotations should be accompanied with (i) photocopy of PAN Card of Proprietor/Firm/Company, (ii) copy of Trade Licence and (iii) contact number of the bidder.

दरपत्र जमा करने से बोलीदाता द्वारा कार्य किये जाने का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। खुले हुए दरपत्र तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे। प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण दर्शाए किसी भी दरपत्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। /Submission of quotation by itself does not confer any right or entitlement to do the job. Unsealed quotations will be rejected outrightly. The Authority reserves the right to reject any quotation without assigning any reason whatsoever.

आगे जानकारी के लिए आप किसी भी कार्यदिवस में अप. 12.30 से 01.30 तक अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।/ For further information, you may contact with the undersigned within 12.30 PM to 01.30 PM on any working day.



[अभिजीत मण्डल/AbhijitMondal]

कर वसूली अधिकारी तथा सचिव, क्रय समिति
प्रधान आयकर आयुक्त का कार्यालय, बर्धमान
Tax Recovery Officer, Burdwan &
Secretary, Purchase Committee
Office of the Principal CIT, Burdwan

1. कार्यक्षेत्र /SCOPE OF WORK

- a) आयकर भवन स्थित आयकर कार्यालय, काछारी रोड, बर्धमान तथा इससे संलग्न अतिथि निवास में इन्सटॉल किए गए 42 (बयालीस विन्डो तथा स्प्लिट वातानुकूल यंत्र हेतु एएमसी की मांग की जा रही है।/ AMC is required for the 42 (forty two) numbers of ACs (Split and Window) installed in the Office and Guest House of the Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan.
- b) रोजाना आधार पर प्रभारी/प्रयोगकर्ता , प्रधान आयकर आयुक्त का कार्यालय बर्धमान द्वारा किए गए शिकायतों का निवारण करना है।/Attending to complaints raised by the office of the Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan incharge/users on daily basis.
- c) वातानुकूल यंत्रों कर ऑन साइट प्रतिषेधात्मक व सुधारात्मक रखरखाव/On site preventive and corrective maintenance of air conditioners.
- d) रखरखाव निविदा में इन्सटॉल किए गए सिस्टम की मरम्मत तथा त्रुटियुक्त/क्षतिग्रस्त अंशों ,संघटकों तथा अन्य संयंत्रों को निःशुल्क बदला जाना शामिल होगा । रखरखाव सेवा सभी कार्यदिवसों में प्रातः 9.30 से सायं 07.00 बजे तथा बुलाए जाने पर आपातकालीन आधार पर प्रदान की जाएगी। एजेंसी को किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टी के दिन तकनीशियनों की सेवा सुनिश्चित करनी होगी। एजेंसी को यंत्रों की बाहरी सफाई के साथ साथ आवधिक प्रतिषेधात्मक रखरखाव करना होगा । कम से कम निम्न सेवाओं को रूटिन एएमसी सेवा तथा रूटिन रखरखाव सेवा में शामिल करना होगा : (i) फिल्टर की सफाई व बदला जाना (ii) वातानुकूल यंत्रों के सिलेक्टर स्विच एथर्मोस्टेट , रिले, रिमोट कंट्रोल के प्रचालन की जाँच करना. (iii) सप्लाइ एयर ग्रिल, रिटर्न एयर ग्रिल, कंडेंसर के द्वारा वायु प्रवाह की जाँच करना. (iv) वोल्टेज स्टेबिलाइजर तथा बैक अप इलेक्ट्रिकल पावर आउटलेट /एमसीबी के प्रचालन कर जाँच करना (v) पानी के स्पिलेज को रोकना / The maintenance contract will include necessary repairs to the installed systems and replacement of defective/damaged parts, components and other accessories free of cost. The maintenance service should be provided on all working days and as per the call on emergency basis from 09.30 AM to 07.00 PM. The agency shall make the service of technicians available on Saturdays, Sundays or other holidays in case of any exigency. The agency shall also carryout periodic preventive maintenance including external cleaning of equipment. Routine AMC Services and Routine maintenance services shall include at least the following services: (i) Cleaning/Replacement of filter. (ii) Checking operation of the controls of the air conditioners such as selector switch, thermostat, relays, remote control etc. (iii) Checking air flow through the supply air grill, return air grill, condenser. (iv) Checking operation of the voltage stabilizers and back up electrical power outlet/MCB (v) Preventing spillage of water.
- e) ड्राइव मोटर और पंखों की जाँच करनी है।/Checking operation of the drive motors and fans.
- f) निम्नलिखित स्थानों (ड्राई बल्ब तथा वेट बल्ब तापमान) में तापमान की जाँच किया जाना :(i) एयर ग्रिल की आपूर्ति (ii) एयर गिल की वापसी। (iii) इनलेट एयर कंडेन्सर (iv) कंडेन्सर से

आउटलेट एयर /Outlet air from the condensers. Checking air temperature at the following location (Dry Bulb & Wet Bulb Temp.):(i) Supply of air grill (ii) Return air grill (iii) Inlet air condenser (iv) Outlet air from the condensers.

g) वातानुकूल यंत्र के फिक्सिंग तथा वातानुकूल केसिंग, ब्लो मोटर, कम्प्रसर के लिए सहयोगी प्रबंधन की दृढ़ता की परीक्षा / Checking firmness of the supporting arrangement for the compressor, blower motor, air conditioners casing and fixing of the air conditioners etc.

h) वातानुकूल यंत्र के किसी भी संघटक को बदलना (आउटडोर तथा इनडोर यूनिट, इन लेट तथा आउटलेट पाइपलाइन, वैद्युतिक कनेक्शन इत्यादि अगर उपरोक्त जाँच एवं परीक्षा के बाद त्रुटियुक्त पाया जाता है) /Replacement of any component of air conditioners (outdoor and indoor units, in-let and out-let pipeline, electrical connections etc. found defective after the above checks and tests.

(i) अगर आवश्यक हो तो निविदा की अवधि के दौरान अगर आवश्यक हो तो रेफ्रिजरेंट गैस कसे चार्ज किया जाना है। / Charging of refrigerant Gas during the period of contract, if need arises.

j) एएमसी प्रारंभ होने से पूर्व रखरखाव का शिड्यूल दोनों पक्षों के आपसी समझौते से बनाना है। / Maintenance schedules mutually agreed upon will be prepared before commencement of the AMC.

2. नियम तथा शर्तें/TERMS AND CONDITIONS

2.1 प्रधान आयकर आयुक्त, वर्द्धमान के कार्यालय अतिथि गृह में लगे एयर कंडीशनर के एएमसी 42 आदेश- परिवर्तित हो सकती है। कार्यकता है। एयर कंडीशनरों की संख्याकी आवश्यक एयर कंडीशनरों की वास्तविक संख्या के अनुरूप जारी होगा।/AMC is required for 42 Air Conditioners in all installed in the Offices Guest House of the Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan. Number of Air Conditioners may change. The WORK ORDER will be issued on the basis of actual No. of Air Conditioners.

2.2 एएमसी लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अनुबंध लागू होगा। यदि सेवाएं संतोषजनक पाई जाएंगी, तो अनुबंध उन्हीं नियम व शर्तों के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। पार्टी शिकायतों के निवारण हेतु पर्याप्त संख्या में तकनीशियन उपलब्ध कराएगी।/AMC will be for a period of one year commencing from the date of the Agreement comes into force. If the services are found satisfactory the contract may be extended for a period of one more year of the same terms and conditions. The party shall provide adequate number of technicians to attend complaints.

2.3 यह कार्यालय परिसर के अंदर किसी भी मशीन के स्थानान्तरणपन का अधिकार भी सुरक्षित पुर्नस्था/रखता है।/This office also reserves the right to transfer/reinstall any of the machines to another location within the premise.

2.4 सेवा प्रदाता आवश्यक कल में उपलब्ध संख्यासेवा केंद्र में पर्याप्त पूर्जों को अपने नजदीकी-रखेंगे।/The service provider shall maintain adequate stock of required spare parts in the store in his nearest service centre.

2.5 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि कंप्रेसर ब्रेकडाउन होने की स्थिति में उसे समान मॉडल के नए कंप्रेसर से बदला जाएगा जिनकी कम से कम एक वर्ष की रिप्लेसमेंट वारंटी हो। जले हुए कंप्रेसर के मरम्मत की अनुमति नहीं दी जाएगी।/The service provider shall ensure that in case of compressor breakdown. It shall be replaced with a new compressor of same model with at least one year replacement warranty. Repairing of burnout compressor shall not be allowed.

2.6 रिप्लेसमेंट के दौरान लगाए गए कल नए एयर कंडीशनर के समानपूर्जे की गुणवत्ता-ही होनी चाहिए तथा उनकी वारंटी एक वर्ष की होनी चाहिए।/The spare parts used for replacement shall be of same make/quality as installed in new air conditioner with warranty or guarantee of one year period.

2.7 बोलीदाता को दर बताने से पहले कार्यस्थल के निरीक्षण का सुझाव दिया जाता है।/ Bidders are advised to visit to the installed site before quoting the price.

2.8 लगाए गए दर में सभी प्रकार के व्यय, कीमत, परिवहन, रखरखाव प्रभार, बीमा एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों का समावेश होना चाहिए।/The quoted price shall be inclusive of all the expenses, cost, transportation, handling charge, insurance & other incidental charges of taxes including GST.

2.9 सेवा के असंतोषजनक निष्पादन की स्थिति में बिना सूचित किए इस अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा। /Unsatisfactory performance of service will render this contract to be terminated without notice.

3. उत्तरदायित्व/LIABILITIES:

3.1 पार्टी को कर, जीएसटी, शुल्क, तथा न्यूनतम मजदूरी आदि जैसे वैधानिक जिम्मेदारी को ग्रहण करना होगा। सभी वैधानिक जिम्मेदारियों का भुगतान पार्टी अर्थात् अनुबंधकर्ता द्वारा ही किया जाएगा। पहली पार्टी किसी भी प्रकार से दूसरी पार्टी के वैधानिक जिम्मेदारियों तथा उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के वेतन के लिए जिम्मेदार होगी। पुनः, पहली पार्टी परिसर में कार्य के दौरान हुए किसी भी चोट अथवा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।/The Party is liable to ensure that statutory liabilities like Taxes, GST, Fees, and Minimum wage etc. All statutory liabilities are to be paid by party, i.e., contractor. The first party will, in no way, be associated with the payment of statutory liabilities and salary to the personnel engaged/provided by the second party. Further, the first party shall not be responsible in any way with regard to injury or a mishap to the work force during their duty in the premises.

3.2 अनुबंधकर्ता द्वारा नियुक्त कार्मिक के लापरवाही से किसी भी उपकरण अथवा सामान को हुए क्षति को दूसरी पार्टी के खाते में डाला जाएगा। ऐसी राशि को पार्टी को देय राशि से काट लिया जाएगा। / Any damage caused to any equipment/or items available at the office premises due to negligence of the party's work force shall be entirely on second party account. The amount so involved on this account shall be deducted from the payment due to the party.

3.3 विक्रेता व्यक्तिगत रूप से अपने कार्मिक के कार्य के लिए जिम्मेदार होगा तथा उनके किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी शिकायत होने पर, प्राधिकारी के निर्देश पर विक्रेता को उस कार्मिक को बदलना होगा। विक्रेता सभी कानूनों का पालन करेंगे तथा उन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन के जिम्मेदार होंगे। विक्रेता के कार्मिकों के किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व आयकर विभाग का नहीं होगा।/The vendor shall personally be responsible for the conduct of his staff and in case of any complaint against any staff; vendor should change the worker when instructed by authority.

The vendor shall observe all the laws and will be responsible for any prosecution of liability arising from breach of any of those laws. The Income Tax Department will not hold any responsibility with regard to staff on the role of the vendor whatsoever.

3.4 विक्रेता एवं उनके कार्मिक प्रधान आयकर आयुक्त, वर्द्धमान द्वारा लागू नियम व शर्तों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे। प्रधान आयकर आयुक्त, वर्द्धमान विक्रेता द्वारा उनके उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।/The vendor and his staff shall follow the rules and regulations of the Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan in force and instruction issued from time to time. The Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan will be free to take action against the vendor for violating the same.

3.5 समग्र अथवा आंशिक रूप से भी यदि विक्रेता अनुबंध के अधीन अपने कार्य को पूरा करने में असफल रहता है, प्रधान आयकर आयुक्त, वर्द्धमान द्वारा विक्रेता के जोखिम एवं कीमत पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। /In the event of the vendor failing to execute the work under contract in whole or in part an alternative arrangement will be made by the Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan totally at the cost and risk of vendor besides any suitable fine/penalty.

4. निष्पादन/PERFORMANCE:

4.1 यदि पार्टी का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, विभाग निम्न कार्रवाई कर सकता है किसी (क) : अनुबंधकर्ता को कार्य प्रदान करना। अन्य, (ख) अनुबंध रद्द करना। /If the performance of the party is not up to the mark, then the department may take the following actions: (a) To engage another contractor, (b) To cancel the contract.

4.2 अपराहन 1.00 बजे से पूर्व किये शिकायत को उसी दिन दुर करना और 1.00 बजे के बाद किये शिकायत को अगले दिन दुर करना / Any complaint made before 1.00 PM should be addressed on the same day and if after 1.00 PM by next day.

5. पुन/किराया पर देना : SUBLETTING

पार्टी बिना लिखित अनुमति के अनुबंध के किसी भी भाग को किसी और को किराए पर अथवा किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं कर सकती है।/The party shall not sublet or transfer any part of the contract thereof without the written permission of the department.

6. भुगतान शर्तें/ PAYMENT TERMS:

6.1 भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।लॉग बुक के /जॉब कार्ड/पंजी तिमाही के अंत में सेवा) आधार पर उपयोगकर्ता। निधि (त करने के उपरांतकार्यालय द्वारा संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र प्रस्तु/ /आवंटन में देरी होने पर भुगतान में विलंब हो सकता है। The release of payment will be made on quarterly basis (at the end of third month on the production of 'Satisfactory Service Certificate') from the users/office prepared on the basis of service book/job card/log book maintained. Delay in payments may happen if the fund allocation is delayed.

6.2 पार्टी द्वारा प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्येक तिमाही में बिल का भुगतान किया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कोई भी कटौती अथवा शास्ति की स्थिति में उसे काट कर ही बिल का तिमाही भुगतान किया जाएगा। /Payment shall be made on quarterly basis on receipt of bill from the party. No advance payment in any case would be

made. The quarterly payment shall be made after accounting for any deductions/penalty, if applicable.

6.3 किसी भी प्रकार के प्रशासनिक विलंब के कारण बिल के भुगतान में हुई देरी के लिए अनुबंधकर्ता राशि पर ब्याज आदि किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा। The contractors shall not be entitled to lodge claims for payments with regards to interest, etc., for delay in settlement of his dues due to any administrative reason.

7. वैधता/VALIDITY

7.1 अनुबंध आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए यह अनुबंध वैध होगा। यह अवधि निविदा) (प्रक्रिया को पूरा करेगी। /This contract will be valid for a period of one year commencing from the date of contract. (This period will be finalization of tender process).

7.2 अनुबंध का नवीकरण उसके समाप्त होने से पूर्व पारस्परिक सहमति के आधार पर दोनों पार्टियों द्वारा किया जाएगा। /The agreement can be renewed on mutually acceptable terms before its expiry as decided by both the parties.

8. समनदेशन/ASSIGNMENT

पार्टी किसी प्रधान आयकर आयुक्त, वर्तमान की लिखित अनुमति के बिना इस अनुबंध अथवा इसके किसी भी भाग को अथवा इसके किसी भी लाभ को अन्य पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकती। /The party shall not assign this agreement or any part thereof or any benefit there under without the written consent of the Principal Commissioner of Income Tax ,Burdwan to any other party.

Annexure- "B"

आयकर भवन परिसर तथा आयकर आवासन अतिथिगृह, कोर्ट कम्पाउण्ड, काछारी रोड, बर्धमान 713101 स्थित वातानुकूल यंत्र के वार्षिक व्यापक रखरखाव हेतु दरपत्र /Quotation for comprehensive AMC for Air Conditioners installed at Aayakar Bhavan Building and Aayakar Abasan Guest House at Court Compound, Kachhari Road, Burdwan-713101.

(a)Rate for Comprehensive AMC for one Split Air Conditioner.Rs._____ (in figure).
Rupees_____ (in words)

(b)Rate for Comprehensive AMC for one Window Air Conditioner.Rs._____ (in figure).
Rupees_____ (in words)

Name of Firm / Proprietor

Address in full

.....

.....

Telephone No. (Off.)

Mobile No.

Service Tax No.

GST No.....

PAN

Any other information

Date :

[Signature]

Proprietor/Partner of Firm
Authorised Signatory of Company

Note :-

1. उपरोक्त विवरण देते हुए सेवादाता के पत्रशीर्ष पर दरपत्र प्रस्तुत किया जाना है।/Quotations must be made on the **letter head** of the Service Provider giving the detailed as above.
2. प्रधान आयकर आयुक्त बर्धमान के कार्यालय को बिना कोई कारण दर्शाए किसी भी या सभी दरपत्रों को रद्द करने का अधिकार है।/The Office of Principal Commissioner of Income Tax, Burdwan reserves the right to accept or reject any or all quotations without assigning any reason.